

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/6194 /

जबलपुर, दिनांक 1 / 12 / 2022

II-15-2/79 Pt- IX

श्री कमलभान काछी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के क्रमांक सी-3-11/2016/1/3 दिनांक 9 फरवरी 2017 में निहित शर्तों एवं प्रावधान के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक जीवित पुत्री के रहते हुए पत्नि का L.T.T. Operation कराये जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षण नियमों के अनुसार ऑपरेशन दिनांक 11/11/2021 से दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किया जाता है।

सही / -

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृ० क्रमांक C/6195 /

जबलपुर, दिनांक 1 / 12 / 2022

II-15-2/79 Pt- IX

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री कमलभान काछी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, यूनिक कोड नम्बर 170018342
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



30.11.22

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

